न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय
सांगानेर जयपुर महानगर
ब्रजलास,जगत राजेश्वर आर.ए.एस.

वाद संख्या 194/2013 दिनांकः— 26—09—2018

1. छीतर दत्तक पुत्र मगंला जाति जाट निवासी ग्राम भांकरोटा तहसील संगानेर जिला जयपुर।

.....वादी

बनाम

1. श्रीमती लच्छा देवी पुत्री सेडुराम धर्मपत्नी श्री लालाराम जाति जाटनिवासी ग्राम माचवा तहसील व जिंला जयपुर ।
2. सेडु पुत्र स्वय0 श्री भूरा (फौत)
   (1) रामलाल पुत्र स्व0 श्री सेडु
   (2) रामप्रसाद पुत्र स्व0 श्री सेडु
   (3) बंशी पुत्र स्व0 श्री सेडु
   (4) गुलाब देवी पत्नी स्व0 श्री सेडु
3. दौला पुत्र स्व0 श्री भूरा (फौत)
   (1) जगदीश पुत्र स्व0 श्री दौला
   (2) सीताराम पुत्र स्व0 श्री दौला
   (3) रामबाबू पुत्र स्व0 श्री दौला
   (4) राकेश पुत्र स्व0 श्री दौला
   (5) श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नी स्व0 श्री दौला

   समस्त जाति जाट निवासीयान निठारवालों की ढाणी, ग्राम भांकरोट तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।

3/6 श्रीमती सोनी देवी पुत्री स्व0 श्री दौला पत्नी श्री कालूराम ।

3/7 श्रीमती नौरती पुत्री स्व0 श्री दौला पत्नी श्री झूथाराम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम फगोडिया की ढाणी, ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

4. करणा पुत्र स्व0 श्री भूरा
5. कजोड पुत्र स्व0 श्री गोगा
6. नवरतन पुत्र स्व0 श्री गोगा ।
7. मन्नी पत्नी श्री नारायण ।
8. लाली पुत्री नारायण
9. संज्या पुत्री नारायण

जति जाट निवासी ग्राम भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।

10. जुगलकिशोर पुत्र श्री इद्रलाल अग्रवाल
11. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री इन्द्रलाल अग्रवाल

जाति वैश्य अग्रवाल निवासी मकान नम्बर 27 अग्रसेन कॉलोनी ब्रम्हपुरी खुर्रा जयपुर ।

12. अजय गोयल पुत्र एम सी गोयल निवासी 82 ए धुलेश्वर गार्डन सी स्कीम जयपुर
13. राजस्थान सरकार जरियेतहसीलदार तहसील सांगानेर ।

.....प्रतिवादीगण

अप्रार्थी/वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रामजीलाल चौधरी

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुमन कुमार शर्मा

प्रार्थना पत्र बाबत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

- यह है कि अप्रार्थी/ वादी की ओर से दिनांक 25–09–2013 को एक वाद बाबत घोषण व स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 एक ही कुटुम्ब के सदस्य है । वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 12 की अराजियात कृषि भूमि के हाल खाता संख्या 595 के खसरा नम्बर 1753 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1754 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1755 रकबा 0. 07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1756 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1757 रकबा 0.05 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 1763 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1764 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1766 रकबा 0. 16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1768 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1869 रकबा 0.01 हैक्टेयर,खसरा नम्बरा 1770 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1771 रकबा 0.14 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 1772 रकबा 0. 36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1773 रकबा 0.41 हैक्टेयर, खसरा नम्बर

उप खण्ड अधिकारी
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned by CamScanner

1815 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1816 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1817 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1818 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1819 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1920 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 25 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1826 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1827 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1828 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1829 रकबा 0.68 हैक्टेयर, कुल किता 25 का कुल रकबा 5.09 हैक्टेयर में वादी की मां स्व0 श्रीमती गौरादेवी का हिस्सा 1/6 व हाल खाता संख्या 596 के खसरा नम्बर 1774 नकबा 0.42 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.42 हैक्टैयर में वादी की मॉ स्व0 श्रीमति गोरा हिस्सा 1/6 व हाल खाता संख्या 597 के खसरा नम्बर 1775 रकबा 0.51 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.43 हैक्टेयर, कुल किता 2 का कुल रकबा 0.94 हैक्टेयर में वादी की मॉ स्व0 श्रीमति गोरा हिस्सा 1/6 व हाल खाता संख्या 598 के खसरा नम्बर 1777 रकबा 0.40 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 1782 रकबा 0.31 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 0.71 हैक्टेयर में वादी की मॉ स्व0श्रीमति गोरा का हिस्सा 1/6 व हाल खाता संख्या 599 के खसरा नम्बर 1779 रकबा 0.17 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 1780 रकबा 0.21 हैक्टेयर,खसरा नम्बर 1781 रकबा 0.42 हैक्टेयर,कुल किता 3 का कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर में वादी की मॉ स्व0 श्रीमति गोरा का हिस्सार 1/8 व हाल खाता संख्या 600 के खसरा नम्बर 1776 रकबा 0.35 हैक्टेयर,कुल किता एक का कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर वाके ग्राम भॉकरोटा कला तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी की मॉ स्व0 श्रीमति गोरा देवी 1/8 राजस्व रिकार्ड में अंकित है परन्तु वादी गोरा देवी पत्नी मगंला का एक मात्र वारिस होने के कारण श्रीमति गोरा के हिस्से का एक मात्र मालिक व स्वामी है शेष अन्य सहखातेदारों का है। वादी स्व0 श्री मगंला का दत्तक पुत्र है जिसको स्व0 श्री मंगला की पत्नी स्व0 श्रीमती गोरा ने रजिस्टर्ड गोदनामे के जरिये दिनांक 23–07–1988 को गोद लिया था वादी अपने बाल्यकाल से ही मगंला पुत्र के रूप में उनके पास रहा स्व0 श्री मगंला की मृत्यु 17–03–1975 को लाऔलाद हो गयी थी इसके बाद में श्रीमती गोरा सेडू के नाते चली गयी थी केवल वादी मगंला की सम्पत्ति की देखभाल करता था साथ ही अपनी मॉ की सेवा श्रुषा करता था परन्तु मगंला की मृत्यु के बाद में पैरा नम्बर 2 में वर्णित आराजीयात में मगंला के हिस्से का नामान्तकरण अकेले गोरा के नाम खुल गया क्योंकि वादी उस समय नाबालिग था । स्व0 श्रीमति गोरा सेडू के नाते चले जाने के बाद सेडू के सम्बन्धो से लडकी लक्ष्मादेवी पैदा हुई जो कि प्रतिवादी संख्या 1 है जो वादी की मॉ के साथ वादी के पास रही तथा शादी की उम्र होने पर प्रतिवादी संख्या 2 ने उसकी शादी श्री लालाराम निवासी ग्राम मांचवा तहसील व जिला जयपुर में कर दी जब से वह अपने ससुराल में आबाद है तथा शादी विवाह व अन्य

Scanned by CamScanner

आयोजनो में पीहर आती जाती रहती है । प्रतिवादी संख्या 1 के मन में खोट सुमार उत्पन्न हो गया इस कारण बेईमानीपूर्ण तरीके से एक वसीयतनामा दिनांक 29–03–2013 को वादी की स्व0 माता श्रीमति गोरादेवी से सम्पूर्ण जमीन का वसीयतनामा अपने नाम से करवा लिया तथा दिनांक 5–08–2013 जिसके आधार पर स्व0 गोरा के नाम से अंकित आराजियात का नामान्तकरण खुलवाने के लिये तहसीलदार सांगानेर के यहां पर आवेदन कर दिया जिस पर तहसीलदार तहसील सांगानेर ने नामान्तकरण खोलने हेतु पत्रावली खोलकर कार्यवाही शुरू कर दी तथा वादी को उक्त आराजीयात में बेदखल करने की धमकी दी ।

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादी के द्वारा जो सजरा खानदान प्रस्तुत किया गया है वह गलत प्रस्तुत किया गया है वादी को मगंला एवं उसकी पत्नी गौरा ने अपने जीवनकाल में कभी गोद नहीं लिया तथा सजरा में वादी ने अपना नाम गलत दर्ज किया है प्रतिवादी संख्या 1 मगंला व गोरा की एकमात्र जायन्दा पुत्री है जिसका नाम जानबूझकर गलत तौर पर अंकित नहीं किया । उक्त मद में वर्णित समस्त खसरा नम्बर मे से 1/6 हिस्सा श्रीमति गौरादेवी का था गौरा ने कोई भी पुत्र गोद नहीं लिया था गौरा के हिस्से में आई सम्पत्ति की वसीयत गौरा के द्वारा दिनांक 29–03–2013 को पंजीकृत वसीयतनामे से अपनी सगी पुत्री प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती लछमा देवी पुत्री मगंला धर्मपत्नी श्री लालाराम के पक्ष में कर दी थी जिसका पुस्तक संख्या 3, जिल्द संख्या 6 में पृष्ठ संख्या 169 के कम संख्या 2013053000029 पर पंजिबद्ध की गई तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 3 जिल्द संख्या 13 के पृष्ठ संख्या 503 से 510 पर चस्पा की गयी जिसके आधार पर वाद–पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित समस्त सम्पत्ति की मालिकिन व कब्जाधारी प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 है ।

जिस गोदनामे का वर्णनन वादी ने अपने वाद–पत्र में किया है उसी दिन एक वसीयत भी वाद–पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित सम्पत्ति की पंजीकृत वसीयतनामे से वादी ने अपने पक्ष में करवायी है दोनो ही दस्तावेज दिनांक 23–07–1088 को करवाये गये है जिससे भी यही जाहिर होता है कि केवल मात्रा सम्पत्ति हडप करने की नियत से उक्त दस्तावेज निष्पादित करवाये गये है प्रतिवादी संख्या 1 की मॉ कभी भी सेडू के नाते नहीं गई है। केवल वादी ने बहला फुसलाकर उक्त दस्तावेज निष्पादित करवाया है तथा ना ही कभी भी वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 की मॉ श्रीमती गौरा की सेवा व देखभल की है केवल मात्रा सम्पत्ति हडप करने की नियत से उक्त दस्तावेज निष्पादित करवाये है एवं अपने आप को उक्त समय नाबालिग बताने का तथ्य भी गलत अंकित किया है । उक्त वर्णित सम्पत्ति में वादी का कोई हक व हिस्सा नहीं होने के कारण वादी के

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

पक्ष में कोई नामान्तकरण नहीं खुला । इस कारण भी वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है । प्रतिवादी संख्या 1 की मॉ श्रमती गौरा, सेडू के नाते नहीं गयी और ना ही सेडू के सम्बन्धो से लछमा पैदा हुई है । लिछमा, मगंला व गौरा के नुत्फे से उत्पन्न हुई थी । जिस समय मगंला की मृत्यु हुई थी उस समय लछमा की उम्र 2 से 3 वर्ष रही है । किसी भी दस्तावेज या किसी के कथन में भी कहीं वर्णित नहीं किया गया है कि गौरा के कोई लडकी पैदा नहीं हुई हो वादी केवल मात्रा सम्पत्ति को हडप करने की दृष्टि से प्रतिवादी संख्या 1 को सेडू की पुत्री बता रहा है जो पूर्णतया गलत है । यह तथ्य सही है कि प्रतिवादी संख्या 1 की शादी लालाराम निवासी मांचवा जिला जयपुर से हुई परन्तु वसीयत के आधार पर एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त सम्पत्ति की मालकिन प्रतिवादी संख्या 1 है। प्रतिवादी संख्या 1 के मन मे किसी भी प्रकार की कोई खोट या बेईमानी नहीं आई बल्कि वसीयत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 उक्त सम्पत्ति की पूर्ण मालकिन है जिसके आधार पर तहसीलदार सांगानेर के यहॉ नियमानुसार नामान्तकरण खोलने हेतु आवेदन किया है जिस पर वाद–पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित स्व0 गौरा देवी के हिस्से का नामान्तकरण प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के हक में तहसीलदार महोदय द्वारा बाद जांच दस्तावेजात के आधार पर तस्दीक किया गया तथा उक्त विवादित सम्पत्ति पर प्रतिवादी संख्या 1 का ही कब्जा चला आ रहा है वादी का जब उक्त सम्पत्ति पर कब्जा ही नहीं है तो बेदखल करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में श्रीमती गौरा के द्वारा अन्तिम वसीयत की गयी है इस आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ही वाद–पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजी भूमि की खातेदार एवं काश्तकार है ।

- प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा कभी भी धमकी नहीं दी गयी केवल मात्र वाद कारण उत्पन्न करने की नियत से वादी द्वारा दिनांक 5–08–2013 मिथ्या अंकित की गयी है । वादी को दिनांक 5–08–2013 को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ वादी को प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के हक में उसकी माता स्व0 श्रीमती गौरादेवी द्वारा निष्पादित रजि0 वसीयत दिनांक 29–03–2013 की शुरू से ही जानकारी रहीं है । स्वर्गीय गौरा पत्नी श्री मगंला की अपने जीवन काल में प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 29–03–2013 को अंतिम वसीयत है जिसे वादी ने अपने वाद–पत्र में स्वीकार किया है इससे पूर्व की समस्त वसीयत यदि कोई हो तो स्वंयमेव ही शून्य हो जाती है इस कारण भी स्व0 गौरा की सम्पत्ति जो वाद–पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित है की एक मात्र उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 है वादी का इस सम्पत्ति में कोई हक हिस्सा नहीं बनता है । वादी द्वारा उक्त उनवानी वाद में अनुतोष

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

के खण्ड (क) में यह अनुतोष चाहा गया है कि "वादी मंगला के दत्तक पुत्र के आधार पर घोषण करवाने का अधिकारी है कि उक्त वर्णित आराजीयात में वादी को राजस्व रिकार्ड में स्व0 श्रीमति गौरा देवी के नाम अंकित कृषि भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । वादी द्वारा अपने वाद–पत्र में स्व0 श्रीमति गोरा देवी द्वारा निष्पादित गोदनामा दिनांक 23–07–1988 के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गयी है जबकि स्व0 श्रीमति गोरा देवी के पति मंगला की मृत्यु दिनांक 17–03–1975 को होना वादी द्वारा अपने वाद–पत्र में अंकित किया है तथा मगंला की मृत्यु के पश्चात वाद–पत्र की मद संख्या 2 में उल्लेखित आराजी का फौती नामान्तकरण अकेली स्व0 श्रीमति गौरादेवी के हक में खुला है यदि वादी को स्व0 श्रीमति गौरा देवी के पति मगंला द्वारा वास्तविक रूप से बाल्यकाल में गोद लिया जाता तो फौती नामान्तकरण स्व0 श्रीमति गौरादेवी के साथ में वादी के नाम भी खोला जाता जिससे साबित है कि वादी द्वारा तथा कथित गोदनामा दिनांक 23–07–1988 फर्जी व कूटरचित है जिसके आधार पर वादी को स्व0 श्रीमती गौरादेवी की सम्पत्ति में किसी प्रकार के अधिकारो की प्राप्ती नहीं होती है तथा वादी को उक्त गोदनामे दिनांक 23–07–1988 के बाबत अपने को स्व0 गौरादेवी के दत्तक पुत्र होने की घोषणा सिविल न्यायालय से करवाया जाना आवश्यक है तथा उक्त गोदनामे के आधार पर दत्तक पुत्र की घोषणा करवाये बिना वादी का वाद बाबत खातेदारी अधिकारो की घोषणा का कतई भी पोषणीय नहीं है जिस कारण वादी का वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ना होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा खरिज किये जाने योग्य है । वादी द्वारा अपने हक में स्व0 श्रीमति गौरादेवी द्वारा निष्पादित जिस गोदनामा दिनांक 23–07–1988 का उल्लेख किया है उसी दिन अर्थात दिनांक 23–07–1988 को वादी द्वारा स्व0 श्रीमति गौरादेवी से एक रजि0 वसीयत भी अपने हक में निष्पादित करवायी है जिसका उल्लेख वादी द्वारा अपने वाद–पत्र में नहीं किया गया है बल्कि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के हक में तस्दीक किये गये नामान्तकरण की अपील में इसका उल्लेख किया गया है जो अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के समक्ष लम्बित है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के हक में उसकी माता स्व0 श्रीमति गौरादेवी पत्नी स्व0 मंगला द्वारा दिनांक 29–03–2013 को रजि0 वसीयत निष्पादित की गयी है जिस रजि0 वसीयत के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाद–पत्र की मद संख्या 2 में उल्लेखित आराजी कृषि भूमि का ईन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया है तथा काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है तथा वादी को उक्त तथाकथित गोदनामा दिनांक 23–07–1988 के आधार पर बिना दत्तक पुत्र की घोषणा करवाये बिना किन्ही अधिकारो की प्राप्ति नहीं होती है तथा दत्तक पुत्र की घोषणा का अनुतोष सिविल न्यायालय

Scanned by CamScanner

द्वारा ही प्रदान किया जा सकता हैना की राजस्व न्यायालय द्वारा जिस कारण वादी का वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ना होने के कारण माननीय द्वारा खारिज किये जाने योग्य है । वादी को वाद पत्र प्रस्तुत करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है चूँकि वादी को प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के हक में निष्पादित रजि0 वसीयत दिनांक 29-03-2013 की शुरू से ही जानकारी रही है वादी द्वारा उक्त उनवानी वाद-पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि को हडप कर जाने की नियत से प्रस्तुत किया गया है जिससे साफ स्पष्ट है कि वादी को उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने का कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है जिस कारण वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सीपीसी की परिधि में आने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने योग्य है । ऐसे में यह न्यायोचित व आवश्यक है कि वादी का वाद माननलीय न्यायालय द्वारा विचारणीय ना होने के कारण व सिविल न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण व वादी को कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने के कारण उक्त वाद को खरिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त ना होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त होने के कारण व वादी को कोई वाद हेतु उत्पन्न नहीं होने के कारण वादी का वाद माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने की महती कृपा करें ।

- अप्रार्थी/वादी ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब प्रस्तुत कर अपनी बहस में जवाब के तथ्य को दोहराते हुये कथन किया कि श्रीमती गौरा देवी ने वादी को गोद लिया है । इस मद संख्या प्रार्थीया के पक्ष में किया गया वसीयतनामा पैतृक आराजीयात के सम्बन्ध में है । जिसको वसीयत करने का गौरा देवी को कानूनी अधिकार नहीं था । क्योंकि अप्रार्थी/वादी का उक्त आराजीयात में पैतृक होने से तथा वादी मगंला व गौरा का दत्तक पुत्र होने से कानूनन अधिकार प्राप्त था इस कारण भी प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य ना होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा साथ ही में यह भी कथन किया गया कि श्रीमती गौरादेवी व मगंला ने अपनी पूर्ण सहमति से वादी/अप्रार्थी को दत्तक पुत्र गृहण किया था तथा प्रार्थीया मगंला की जाईन्दा पुत्री ना होकर सेडू की जाईन्दा पुत्री है जिसने सांठ-गांठ कर तहसील कार्यालये नामान्तकरण अपने नाम खुलवा लिया । जिसकी अपील सम्भागीय आयुक्त में विचाराधीन है तथा साथ ही यह भी कथन किया गया कि दिनांक 29-03-2013 को वादी/अप्रार्थी को वसीयत के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है । इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने योग्य है तथा साथ ही यह भी कथन किया गया कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा

उप-... अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कानून की परिधी में नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है ।

- हमने विद्ववान अधिवक्तागण उभयपक्षो की बहस सुनी । प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने उन्ही तथ्यों का वर्णन किया है जो प्रार्थना–पत्र में अंकित है तथा अप्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने जवाब में वर्णित उन्ही तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के सम्बन्ध में वाद का निस्तारण तनकियात कायम की जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जा सकेगा । अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे । हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का बगौर अवलोकन किया ।

- जैसाकि प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वादी द्वारा उक्त उनवानी वाद में अनुतोष के खण्ड "क" में यह अनुतोष चाहा गया है कि "वादी मगंला के दत्तक पुत्र के आधार पर घोषणा करवाने का अधिकारी है तथा वादी को उक्त गोदनामा दिनांक 23–07–1988 के बाबत अपने को स्व0 श्री मगंला का दत्तक पुत्र होने की घोषणा सिविल न्यायालय से करवायी जाना आवश्यक है तथा उक्त गोदनामे के आधार पर दत्तक पुत्र की घोषणा कराये बिना खातेदारी अधिकारों की घोषणा राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती तथा वादी/अप्रार्थी द्वारा गोदनामा दिनांक 23–07–1988 के आधार पर वाद पेश किया है तथा उसी दिन श्रीमती गौरादेवी से एक वसीयत अपने हक में निष्पादित करवाई है जिससे गोदनामे की असलियत पर सन्देह उत्पन्न होता है । जब किसी गोदनामे के बारे में प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा यह कथन किया जाता है कि वह मिथ्या व कूटरचित है तो ऐसे गोदनामे की असलियत के बारे में निर्णय देने का अधिकार माननीय सिविल न्यायालय को प्राप्त है तथा उक्त वाद में ना ही तथा उक्त वाद में ना ही कोई वाद हेतुक उत्पन्न होना प्रतीत होता है क्योंकि वादी/अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में यह कथन किया है कि विवादग्रस्त आराजीयात पैतृक सम्पत्ती है न कि गौरा देवी की स्वयं की सम्पत्ती है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में की गई वसीयत को करने का अधिकार हांसिल नहीं था हमने हिन्दु उत्तराधीकार अधिनियम की धारा 14(1) का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि किसी हिन्दु नारी की सम्पत्ती उसकी अत्यान्तिक अपनी सम्पत्ती होगी जो उसे इस अधिनियम से पूर्व या पश्चात् अर्जित की हो उसके द्वारा वह सम्पत्ती पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसिमित स्वामी के तौर पर धारित की जायेगी चाहे वह सम्पत्ती हिन्दु नारी को विरासत द्वारा अथवा वसियत द्वारा प्राप्त की गई हो उक्त वाद में गौरा देवी द्वारा जो आराजीयत प्राप्त की गई है वह विरासत द्वारा प्राप्त की है जिसे वसीयत करने का विकय पत्र तस्दीक करने का पूर्ण अधिकार हॉसिल

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

है तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित रजि0वसीयत । दिनांक 29–03–2013 श्रीमती गौरादेवी की अन्तिम वसीयत है जिसको न्यायालय तहसीलदार सांगानेर के समक्ष साबित किया जाकर दिनांक 1–12–2017 को 135(2) एल0आर0एक्ट के तहत प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित किया जाकर प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में उक्त आराजीयात का नामान्तकरण खोले जाने के आदेश दिये जा चुके है जिसकी पालना में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1के पक्ष में नामान्तकरण खोला जा चुका है । तथा जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी सम्पत्ती की अन्तिम वसीयत किसी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित करता है तो उस व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उक्त सम्पत्ती में जो वसीयत में वर्णित है किसी भी प्रकार के हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होते तथा हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 5 के उल्लघंन में किया गया कोई भी गोदनामा कानून की परिधी में शून्य माना जावेगा और उसके आधार पर किसी भी अधिकारो की प्राप्ती नहीं होगी तथा उक्त वाद में तो जो गोदनामा अप्रार्थी/वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में पेश किया है जो स्वंय में ही सन्देहास्पद प्रतीत होता है जिस कारण उक्त वाद में ना तो कोई वाद हेतुक उत्पन्न होना प्रतीत होता है और ना ही गोदनामा की घोषणा का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है । क्योंकि गोदनामा सम्बन्धित अधिकार अप्रार्थी/वादी का सिविल अधिकार है जिसे सिविल न्यायालय द्वारा ही तय किया जा सकता है ।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद बार्ड बाई लॉ की श्रेणी में होने के कारण व कोई वाद हेतुक उत्पन्न न होने के कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली निर्णित सुमार की जाकर दाखिल दफत्र हो तथा अलग से डिक्री पर्चा जारी हो ।

उप खण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय)

जयपुर

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जगत राजेश्वर आर.ए.एस.
वाद संख्या 194/2013

1. छीतर दत्तक पुत्र मगंला जाति जाट निवासी ग्राम भांकरोटा तहसील संगानेर जिला जयपुर।

.....वादी

बनाम

1. श्रीमती लच्छा देवी पुत्री सेडुराम धर्मपत्नी श्री लालाराम जाति जाट निवासी ग्राम माचवा तहसील व जिला जयपुर ।
2. सेडु पुत्र स्वय0 श्री भूरा (फौत)
   (1) रामलाल पुत्र स्व0 श्री सेडु
   (2) रामप्रसाद पुत्र स्व0 श्री सेडु
   (3) बंशी पुत्र स्व0 श्री सेडु
   (4) गुलाब देवी पत्नी स्व0 श्री सेडु
3. दौला पुत्र स्व0 श्री भूरा (फौत)
   (1) जगदीश पुत्र स्व0 श्री दौला
   (2) सीताराम पुत्र स्व0 श्री दौला
   (3) रामबाबू पुत्र स्व0 श्री दौला
   (4) राकेश पुत्र स्व0 श्री दौला
   (5) श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नी स्व0 श्री दौला

   समस्त जाति जाट निवासीयान निठारवालों की ढाणी, ग्राम भांकरोट तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।

   3/6 श्रीमती सोनी देवी पुत्री स्व0 श्री दौला पत्नी श्री कालूराम ।

   3/7 श्रीमती नौरती पुत्री स्व0 श्री दौला पत्नी श्री झूथाराम

   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम फगोडिया की ढाणी, ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
4. करणा पुत्र स्व0 श्री भूरा
5. कजोड पुत्र स्व0 श्री गोगा
6. नवरतन पुत्र स्व0 श्री गोगा ।
7. मन्नी पत्नी श्री नारायण ।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

8. लाली पुत्री नारायण
9. संज्या पुत्री नारायण

जति जाट निवासी ग्राम भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।

10. जुगलकिशोर पुत्र श्री इद्रलाल अग्रवाल
11. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री इन्द्रलाल अग्रवाल

जाति वैश्य अग्रवाल निवासी मकान नम्बर 27 अग्रसेन कॉलोनी ब्रम्हपुरी खुर्रा जयपुर ।

12. अजय गोयल पुत्र एम सी गोयल निवासी 82 ए धुलेश्वर गार्डन सी स्कीम जयपुर
13. राजस्थान सरकार जरियेतहसीलदार तहसील सांगानेर ।

.....प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र बाबत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद बार्ड बाई लो की श्रेणी में होने के कारण व कोई वाद हेतुक उत्पन्न न होने के कारण खारिज किया जाता है ।

दस्तखत 26/9/18

ओहदा.....

उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टॉम्प अर्जी दासा	2 रूपये	–	स्टॉम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टॉम्प वकालतनामा	2 रूपये	–	स्टॉम्प वकालतनामा	2 रूपये	–
स्टॉम्प वजह सबूत			स्टॉम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Scanned by CamScanner